वीर बलिदानी हेमू कालानी की मातृभूमि के प्रति समर्पण, वीरता एवं पराक्रम की कहानियां युगों-युगों तक हम सभी को राष्ट्रसेवा के लिए प्रेरित करती रहेंगी। ——डॉ. मोहन यादव, सीएम, मप्र

यह खेदजनक है कि अरविंद केजरीवाल चुनावी रैलियों में देवताओं का नाम लेते हैं लेकिन अज्ञानता के चलते गलत कहानियां सुनाकर हिंदू भावनाओं को आहत करते हैं। ——वीरेंद्र सचदेवा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिल्ली

स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई

नई दिल्ली (एसएनबी)। स्वामी विवेकानंद के विचारों और उनके आदर्शों को याद करते हुए मंगलवार को विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल लाडपुर में उनकी 163वीं जयंती मनाई गई। इस उपलक्ष्य में विद्यालय में विद्यार्थियों ने एक भव्य कार्यक्रम प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का प्रारंभ प्राचार्य युवराज पुंज ने श्लोक के उच्चारण के साथ स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। तत्पश्चात विद्यार्थियों ने विवेकानंद स्तुति 'मूर्त महेश्वर' प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के समापन पर प्रधानाचार्य ने स्वामी विवेकानंद जी को याद करते हुए उनके जीवन से संबंधित कई घटनाओं का उल्लेख किया और उनके पद चिन्हों पर चलने की सीख दी।

टाटा पावर ने पब्लिक ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया करार

नई दिल्ली (एसएनबी)। बिजली वितरण कंपनी टाटा पावर-डीडीएल ने दिल्ली में स्थित एमसीडी पार्किंग साइट पर पब्लिक ईवी चार्जिंग इंफ्रास्टक्चर लगाने की तैयारी है। टाटा पावर-डीडीएल ने टाटा पावर ईवी चार्जिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड (टीपीईवीसीएसएल) के साथ मंगलवार को समझौता करने की घोषणा की।

इस साझेदारी का मकसद दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) स्थलों पर सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग बुनियादी ढांचे का विकास करना और दिल्ली में लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। ईवी चार्जिंग स्टेशनों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण तथा उन्हें चालू करने के लिए (एसआईटीसी) एमसीडी ने अपने पार्किंग स्थल मुहैया कराए हैं। टीपीईवीसीएसएल ने पार्किंग स्थलों को अंतिम रूप दे दिया है। एमसीडी ने इन पार्किंग स्थलों को टाटा पावर-डीडीएल को 10 वर्षों के लिए आवंटित किए हैं। यह साझेदारी टाटा पावर-डीडीएल के ग्रीन टुमॉरो के दृष्टिकोण के अनुरूप है। 2070 तक शुद्ध रूप से शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के भारत के लक्ष्य का समर्थन करती है। टाटा पावर-डीडीएल और टीपीईवीसीएसएल के बीच दोनों संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस मौके पर टाटा पावर-डीडीएल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी गजानन एस. काले ने कहा कि एमओपी गाइड लाइंस के अनुसार दिल्ली में पब्लिक पार्किंग इंफ्रास्टक्चर के विस्तार के उद्देश्य से एमसीडी ने अपनी पब्लिक पार्किंग साइट्स पर ईवी चार्जिंग सप्लाई स्टेशनों के लिए इंस्टोलेशन, टेस्टिंग और कमिशनिंग के लिए डिस्कॉम्स एवं पीएसयू को उपलब्ध कराया है।

केजरीवाल के भ्रष्टाचार से 'आप' नेताओं का दम घुटने लगा : मल्होत्रा

नई दिल्ली (एसएनबी)। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व विधायक श्रीदत्त शर्मा, पार्षद रेखा रानी, शिल्पा कौर अधिवक्ता अतुल जैन एवं कुलदीप मित्तल समेत कई अन्य नेता मंगलवार को भाजपा में शामिल हो गए। केंद्रीय राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा ने सभी को भाजपा की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर सासंद मनोज तिवारी, कमलजीत सहरावत, अजय महावर समेत भाजपा के अन्य नेता भी शामिल थे। भाजपा ने दावा किया है कि अधिवक्ता अतुल जैन आप सांसद संजय सिंह के प्रतिनिधि रहे हैं। कुलदीप मित्तल कथित शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद रहे अरविंद केजरीवाल के जमानत कर्ता हैं। पूर्व मनोनीत पार्षद कुलदीप मित्तल को विजेंद्र गुप्ता ने पार्टी में शामिल कराया है।

■ आप प्रमुख के जमानतदार कुलदीप भाजपा में शामिल

भाजपा में शामिल हुए नेताओं का स्वागत पार्टी पटका पहनाकर किया गया। केंद्रीय राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि केजरीवाल के भ्रष्टाचार को लेकर अब आप के नेताओं का दम घुटने लगा है। इसीलिए सभी पार्टी को छोड़-छोड़कर भाग रहे हैं। दिल्ली में आप चौथी बार चुनाव लड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि दिल्ली नगर निगम में सेवानिवृत्त कर्मचारियों का बकाया नहीं मिल रहा है। ऐसे कर्मचारियों का करीब 250 करोड़ रुपया सरकार पर बकाया है। दिल्ली सकार ने अब तक नगर निगम का बकाया भी नहीं दिया है। मनोज तिवारी ने कहा कि चुनाव के समय इतनी संख्या में आप के नेताओं का भाजपा में शामिल होना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की जीत है। कमलजीत सहरावत ने कहा कि भाजपा परिवार लगातार बढ़ रहा है। विधायक अजय महावर ने कहा कि दिल्ली में 10 साल से आई इस आप-दा से जल्द ही निजात मिलेगी। विजेंद्र गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए कहा है कि उन्हें दिल्ली के लोगों से मांफी मांगनी चाहिए। उन्होंने भगवान राम और सीता का अपमान किया है।

एमसीडी ने हटाई प्रचार सामग्री

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के तहत दिल्ली को साफ-सुथरा रखने के लिए दिल्ली नगर निगम का सफाई अभियान 21 जनवरी यानि मंगलवार को भी जारी रहा। इसके तहत एमसीडी के सफाई कर्मियों ने विभिन्न उम्मीदवारों की तरफ से दिल्ली भर में फैली गंदगी को लेकर सभी 12 जोन व हर वॉर्ड में साफ-सफाई की। विभिन्न उम्मीदवारों की तरफ से लगाए गए पोस्टर, बैनर, हॉर्डिंग्स को हटाया और सड़कों के साथ-साथ दीवारों, पेड़ों, खम्भों को भी साफ किया। एमसीडी कर्मचारियों ने वाहनों पर लगाई गई प्रचार सामग्री झंडों और पर्चे इत्यादि को भी जब्त किया। इस तरह मंगलवार को दिल्ली से कुल 5283 हॉर्डिंग्स, 26 हजार पोस्टर्स-बैनर्स, एक हजार से अधिक साइन बोर्ड्स और 19 हजार 224 झंडे हटाए गए।

■ 5283 हॉर्डिंग्स, 26 हजार पोस्टर्स-बैनर्स, एक हजार साइन बोर्ड्स व 19224 झंडे हटाए

सैनी व सिंधिया ने उम्मीदवारों के समर्थन में किया प्रचार

■ मुख्यमंत्री सैनी ने राजेन्द्र नगर विधानसभा में मांगे वोट

■ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रोहिणी विधानसभा में की पदयात्रा

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। मतदाताओं को लुभाने के लिए भाजपा ने अपने चुनाव-प्रचार में कई मुख्यमंत्रियों, केन्द्रीय मंत्रियों समेत बाहरी सांसदों को उतार दिया है।

पार्टी के इसी अभियान के तहत मंगलवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राजेन्द्र नगर विधानसभा सीट पर पार्टी प्रत्याशी उमंग बजाज के समर्थन में वोट करने की अपील की। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि वह दिन-रात झूठ बोलने का काम करते हैं। केजरीवाल ने दिल्ली को पेरिस बनाने की बजाय अपने घर को शीशमहल बना दिया। उनकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। उधर केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रोहिणी विधानसभा क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार विजेन्द्र गुप्ता के साथ पदयात्रा कर लोगों से उनके लिए समर्थन मांगा।

राजेन्द्र नगर में सभा को संबोधित करते नायब सिंह सैनी। फोटो : एसएनबी

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनता से कहा कि आपका यही प्यार और समर्थन राजेन्द्र नगर में शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास की नई इबारत लिखेगा। 'आप' और कांग्रेस के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है। इस बार दिल्ली से 'आप' का पत्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा।

प्रत्याशी उमंग बजाज ने गंदे पानी की सप्लाई, टूटी सड़कों, गंदे नाले की समस्या जैसे मुद्दे उठाकर मतदाताओं से वोट मांगे। इससे पहले भाजपा प्रत्याशी ने अपने समर्थकों के साथ सिंधी पार्क में स्थानीय निवासियों से संवाद कर वोटों की अपील की। केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रोहिणी सेक्टर-18 में पदयात्रा की और लोगों से मिलकर विजेन्द्र गुप्ता के लिए जनसमर्थन मांगा।

'सफाई व्यवस्था का 'आप' सरकार ने किया बंटाधार'

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल सिंह ने एमसीडी हाउस की बैठक में सफाई-व्यवस्था का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि 'आप' सरकार के दो वर्ष में न तो दिल्ली में सफाई सही प्रकार से हो रही है और न ही कूड़े के पहाड़ों का निस्तारण हो रहा है। इसकी वजह से नागरिक बहुत परेशान हैं। जगह-जगह फैली गंदगी से लोग बीमार हो रहे हैं, वहीं रास्तों पर चलना भी दूभर हो गया है। नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल सिंह ने दावा किया कि 'आप' सरकार की कुव्यवस्था के चलते नागरिकों ने इस बार दिल्ली में भाजपा की सरकार लाने का मन बन लिया है। आठ फरवरी को जब नतीजे आएंगे तो भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और 'आप-दा' की विदाई होगी। डबल इंजन की सरकार दिल्ली की रुकी हुई विकास यात्रा को रफ्तार देगी। साथ ही सफाई व्यवस्था से लेकर कूड़े के पहाजड़ों को खत्म करेगी।

■ कूड़े के पहाड़ों का नहीं हो रहा निस्तारण : इकबाल सिंह

सिंह ने कहा कि जब भाजपा की सरकार थी तो बड़ी तेजी से डलावघरों को बंद करने का कार्य शुरू किया था। राजधानी में 800 से ज्यादा डलावघर बंद कर दिए थे। इनके स्थान पर पुस्तकालय, बुजुर्गों को बैठने का स्थान व जरूरी वस्तुओं जैसे दूध ब्रेड बिक्री के स्टोर खोले थे। 'आप' सरकार में न तो कोई नया डलावघर बंद हुआ और न ही इनके बंद करने पर लगाई जाने वाली एफसीटीएस मशीनें लगी हैं।

सचदेवा ने केजरीवाल के लिए की मंदिर में क्षमा याचना

नई दिल्ली (एसएनबी)। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मंगलवार को कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर जाकर भगवान राम के अपमान को लेकर अरविंद केजरीवाल के अपराध पर क्षमा प्रार्थना की। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि वह गाहे-बगाहे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का अपमान करते रहते हैं। उनके साथ सांसद योगेंद्र चंदोलिया, प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर, विक्रम मित्तल भी थे।

■ केजरीवाल की कहानी हिन्दुओं की भावनाओं से खिलवाड़ : प्रदेश अध्यक्ष

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह खेद का विषय है कि अरविंद केजरीवाल भगवान राम का अपमान करके चुनाव जीतना चाहते हैं। उन्होंने जो कहानी सुनाई वह किसी भी सनातनी हिन्दू की समझ से परे हैं। चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि केजरीवाल कभी नानी, दादी की कहानी सुनाकर हिन्दुओं एवं उनके मंदिरों का अपमान करते रहे हैं। राम मंदिर के स्थान पर अस्पताल बनाने की मांग को देश के हिन्दू कभी भुला नहीं सकते। उन्होंने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने गतल विवरण सुनाकर श्रीराम, हनुमान एवं बाबा तुलसीदास का अपमान किया है। हनुमान जी क्षमा प्रार्थना करते हुए सचदेवा ने कहा कि वह भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विरोध में सांकेतिक उपवास रखेंगे।

जहां पैशन है, वहां संघर्ष की बात करना बेमानी : कपिल देव

नई दिल्ली (एसएनबी)। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने कहा कि जब कोई व्यक्ति अपने पैशन को प्रोफेशन बना लेता है तो वहां संघर्ष का सवाल खत्म हो जाता है, क्योंकि पैशन में संघर्ष नहीं, अपनी इच्छा और खुशी होती है।

■ क्रिकेटर रन चुराता है, लेकिन उसकी चोरी भी होती है सकारात्मक

उन्होंने कहा कि दूसरों को दिखाने की बजाय पहले खुद को पहचानना जरूरी है, तभी कामयाबी आपके पास आएगी। कपिल देव ने यह बात मंगलवार को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में क्रिकेट कमेंटेटर और कवि पदमजीत सहरावत के काव्य संग्रह 'उड़ान' का विमोचन करते हुए कही। पुस्तक में सहरावत की कुछ प्रेरणादायक कविताओं को संग्रहीत किया गया है।

कपिल देव ने चुटकी लेते हुए कहा कि एक क्रिकेटर से बड़ा चोर कोई नहीं होता, वह रन चुराता है, लेकिन उसकी चोरी भी सकारात्मक है और जीवन के प्रति ऐसा ही सकारात्मक दृष्टिकोण पदमजीत सहरावत की कविताओं में देखने को मिलता है। उन्होंने 'उड़ान' के माध्यम से जीवन जीने के नए, सुगम और प्रेरणादायक रास्ते दर्शाने का प्रयास किया है। अपने काव्य संग्रह की चर्चा करते हुए पदमजीत सहरावत ने कहा कि उन्होंने अपनी कविताओं के जरिये पाठकों को जीवन की विभिन्न परिस्थितियों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का मार्गदर्शन देने का प्रयास किया है।

जलापूर्ति रहेगी बाधित

नई दिल्ली (एसएनबी)। भूमिगत जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशन की वार्षिक सफाई के चलते कई इलाकों में 24 व 25 जनवरी को पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। दिल्ली जल बोर्ड ने बजान जारी कर इस बात की जानकारी दी है। 24 जनवरी को एमआई जी हरि नगर बीपीएस एवं 25 जनवरी को अर्जुन पार्क, इंद्रा पार्क, नंगली सकरावती, प्रेम विहार, निरंजन पार्क, नंगली विहार एक्सटेंशन पार्ट एक, जेमिनी पार्क, घासीपुरा गांव, राणाजी एन्क्लेव, श्याम विहार, दीनपुर गांव, पपरावत गांव, नया बाजार, विजय पार्क, सांई बाबा एन्क्लेव, रोशन मंडी, नाथू राम पार्क, दीपक विहार, अजय पार्क, मकसूदाबाद, लोकेश पार्क, वीरेंद्र मार्केट और पीटीसी झाड़ौदा में जलापूर्ति बाधित रहेगी।

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद
सेक्टर 13, न्यू मुरादाबाद, दिल्ली रोड, मुरादाबाद– 244001
पत्रांक :– 24/मु0वि0प्रा0/मु0अभि0/2024–25, दिनांक – 21/01/2025

Selection of Agency for Photographic and Videographic Documentation of Moradabad Development Area
के लिए एजेंसी के चयन हेतु 'प्रस्ताव का निवेदन (RFP)

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त कार्य की एजेंसी के चयन हेतु ई-प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल http://etender.up.nic.in पर निविदा आमंत्रित है। इच्छुक एजेंसी को दिनांक 06.02.2025 अथवा उससे पहले ई-प्रोक्योरमेन्ट वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तकनीकी ई-बिड RFP में वर्णित तिथि को खोली जायेंगी। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को बिना कारण बताये ई-बिड को या बिड प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार है।

फोन :- 0591-2976666 ई-मेल- mrdda@nic.in प्रभारी मुख्य अभियंता

Arcil

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (एआरसीआईएल)
विभिन्न एआरसीआईएल ट्रस्टों के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य करते हुए
एआरसीआईएल कार्यालय: द रूबी, 10वीं मंजिल, 29, सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई–400 028।
वेबसाइट : https://auction.arcil.co.in; CIN-U65999MH2002PLC134884

सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के नियम 6, 8 और 9 के नियमों को पढ़ते हुए, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रशन ऑफ फायनांशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 (सरफेसी एक्ट) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए
ऑनलाइन ई–नीलामी के माध्यम से बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना।

सामान्य जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं)/गॅरेन्टर (ओं) /बंधककर्ता (ओं) को सूचित किया जाता है कि निम्नवर्णित अचल संपत्ति/संपत्तियां एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के पास गिरवी रखी/प्रभारित की गई है, विभिन्न एआरसीआईएल ट्रस्टों (''एआरसीआईएल'') के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य करते हुए (पंजीकृत असाइनमेंट समझौतों के माध्यम से वित्तीय परिसंपत्ति के असाइनमेंट के अनुसार), को अतिरिक्त ब्याज, शुल्कों और लागत आदि सहित बकाया राशि की वसूली के लिए ऑनलाइन ई–नीलामी के माध्यम से ''जहां है'', ''जैसा है'', और ''जो कुछ भी है'' और ''बिना किसी समर्थन के आधार पर'' पर बेचा जाएगा, जैसा कि सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 (''रूल्स'') के नियम 6, 8 और 9 के नियमों को पढ़ते हुए, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रशन ऑफ फायनांशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 (''एक्ट'') के प्रावधानों के संदर्भ में नीचे बताया गया है।

उधारकर्ता / सह–उधारकर्ता/ गॅरेन्टर / बंधककर्ता के नाम	एलएएन नंबर और विक्रय बैंक	ट्रस्ट का नाम	सरफेसी सूचना की तिथि 18.05.2022 और 10.10.2022 के अनुसार बकाया राशि	कब्जे का प्रकार और तिथि	निरीक्षण की तिथि	संपत्ति का प्रकार	अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (ईएमडी)	आरक्षित मूल्य	ई–नीलामी की तिथि और समय
उधारकर्ता: 1. गुरपाल सिंह 2. सरबजीत कौर 3. परन पाल सिंह (गारंटर)	कर्ज खाता क्र. HHLNOD00497756 और HHENOD00499005 सम्मान कैपिटल लिमिटेड (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)	एआरसी आईएल–सीपीएस–II–ट्रस्ट	रु. 76,45,902.52/- (रुपए छिहत्तर लाख पैंतालीस हजार नौ सौ दो और बावन पैसे मात्र) 13.05.2022 तक + अतिरिक्त ब्याज + कानूनी व्यय और रु. 1,64,359.22/- (रुपए एक लाख चौंसठ हजार तीन सौ उनसठ और बाईस पैसे मात्र) 23.09.2022 तक + अतिरिक्त ब्याज + कानूनी व्यय	वास्तविक कब्जा 08.10.2024 को	अनुरोध पर व्यवस्था की जाएगी	फ्रीहोल्ड – 951 वर्ग फीट (निर्मित क्षेत्रफल)	रु. 9,10,000/- (रुपए नौ लाख दस हजार मात्र)	रु. 91,00,000/- (रुपए इक्यानवे लाख मात्र)	24.02.2025 को दोपहर 02.00 बजे

नीलाम की जा रही सुरक्षित संपत्ति का विवरण: **गुरपाल सिंह के स्वामित्व वाली संपत्ति:**
अचल संपत्ति का क्षेत्रफल 951 वर्ग फीट (निर्मित क्षेत्र) है और निम्नानुसार सीमाबद्ध है: आवासीय प्लॉट बेअरिंग नंबर एई–12 (छत के अधिकारों के साथ), क्षेत्रफल 125.3 वर्ग मीटर, कुल कवर्ड एरिया 134.30 वर्ग मीटर, आवासीय कॉलोनी में जिसे ''अवंतिका'' नाम से जाना जाता है, गांव महौली में स्थित है, रजापुर और हरसौ, तहसील और जिला गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद–201002, उत्तर प्रदेश और जो निम्नानुसार सीमाबद्ध है:–
पूर्व :– प्लॉट नंबर एई–13, पश्चिम :– प्लॉट नंबर एई–11, उत्तर :– प्लॉट नंबर एई–49, दक्षिण :– 18 मीटर चौड़ी सड़क।

लंबित मुकदमे जिनकी एआरसीआईएल को जानकारी है	शून्य	ज्ञात ऋणभार/बकाया जिनकी एआरसीआईएल को जानकारी है	शून्य
बोली जमा करने की अंतिम तिथि	उसी दिन नीलामी से 2 घंटे पहले	बोली वृद्धि की राशि :	जैसा कि बोली के दस्तावेज में उल्लिखित है
डिमांड ड्राफ्ट जिसके नाम से बनाया जाना है:	एआरसीआईएल–सीपीएस–II–ट्रस्ट	सममूल्य पर देय	
आरटीजीएस के विवरण	एआरसीआईएल–सीपीएस–II–ट्रस्ट, ट्रस्ट खाता संख्या – 57500001169088, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, शाखा: कमला मिल, मुंबई, आईएफएससी कोड: HDFC0000542		
संपर्कर्ता का नाम और नंबर	संतोष खोपड़े – 0124-6910910; +91 70654 51024 (auctionhelpline@sammaancapital.com), डोमिनिक मेंडोसा – 9987170998 (dominic.mendosa@arcil.co.in), महेश बंगेरा – 9004173256 (mahesh.bangera@arcil.co.in)		

नियम और शर्तें:
1. नीलामी बिक्री ई–नीलामी के माध्यम से वेबसाइट https://auction.arcil.co.in के माध्यम से और बोली दस्तावेज के नियमों और शर्तों के अनुसार और उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जा रही है।
2. प्राधिकृत अधिकारी (''एओ'')/एआरसीआईएल को इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क की समस्याओं, सिस्टम क्रैश होने, बिजली न होने आदि के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।
3. नीलामी के किसी भी चरण में, ''एओ'' बिना कोई कारण बताए और बिना किसी पूर्व सूचना के प्रस्ताव को स्वीकार/अस्वीकार/संशोधित/ बोली रद्द कर सकता है या नीलामी को स्थगित कर सकता है।
4. सफल क्रेता/बोलीदाता को किसी भी वैधानिक बकाया, कर, देय शुल्क, खरीद पर लागू जीएसटी, स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क आदि का भुगतान करना होगा, जिसका लागू कानून के अनुसार सुरक्षित संपत्ति को उसके पक्ष में हस्तांतरित/सुपुर्द करने के लिए इसका भुगतान करना आवश्यक है।
5. इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले, सुरक्षित परिसंपत्तियों को प्रभावित करने वाले दायित्वों, सुरक्षित संपत्ति के टाइटल और वैधानिक बकाया आदि सहित दावों/अधिकारों/बकाया के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ/उचित आकलन करना चाहिए। नीलामी विज्ञापन में एआरसीआईएल की कोई प्रतिबद्धता या कोई प्रतिनिधित्व शामिल नहीं है और न ही होगा। एआरसीआईएल का प्राधिकृत अधिकारी तृतीय पक्ष के किसी भी दावों/अधिकारों/बकाया के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
6. समाचार–पत्र में प्रकाशित नीलामी सूचना में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताए गए हैं; हालांकि अधोहस्ताक्षरी किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए जिम्मेदार/उत्तरदायी नहीं होगा।
7. उधारकर्ता/गॅरेन्टर/बंधककर्ता, जो उक्त बकाया राशि के लिए उत्तरदायी हैं, इस बिक्री सूचना को उपरोक्त उल्लिखित नीलामी बिक्री के आयोजन के बारे में सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स के नियम 8 और 9 के तहत सूचना के रूप में मानेंगे।
8. यदि ऊपर निर्धारित नीलामी किसी भी कारण से विफल हो जाती है, तो एआरसीआईएल को सुरक्षित संपत्ति को नियमों और अधिनियम के नियम 8(5) के प्रावधानों के तहत किसी अन्य तरीके से बेचने का अधिकार है।

सही/–
प्राधिकृत अधिकारी
एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
एआरसीआईएल–सीपीएस–II–ट्रस्ट के ट्रस्टी

स्थान : गाज़ियाबाद
दिनांक : 17.01.2025

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा
(धारा 82 Cr.P.C. देखिए)

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **अविनाश कुमार शर्मा पुत्र श्री जगदीश शर्मा निवासी सी-311 त्रिवेणी अपार्टमेंट सेख सराय फेस-1 नई दिल्ली अतिरिक्त पता- 325, तीसरी मंजिल, स्क्वायर वन मॉल, साकेत नई दिल्ली** ने सीसी एनआई एक्ट **5906/2021, अंतर्गत धारा 138 नेगोशिएइल इंस्टरूमेंट अधिनियम, थाना साकेत, नई दिल्ली** के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **अविनाश कुमार शर्मा** मिल नहीं रहा है, और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **अविनाश कुमार शर्मा** फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है) इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि सीसी एनआई एक्ट **5906/2021, अंतर्गत धारा 138 नेगोशिएइल इंस्टरूमेंट अधिनियम, थाना साकेत, नई दिल्ली** के उक्त अभियुक्त **अविनाश कुमार शर्मा** से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **22.02.2025** को **प्रातः 10:00 बजे** या उससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार
सुश्री पूजा कुमारी
जेएमएफसी (एनआई एक्ट), कमरा नं. 25
डिजिटल कोर्ट-02, साकेत कोर्ट कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली

DP/872/SD/2025
(Court Matter)

दो फरवरी से आम नागरिकों के लिए खुलेगा अमृत उद्यान

नई दिल्ली (एसएनबी)। राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान दो फरवरी से 30 मार्च तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति सचिवालय ने मंगलवार को बताया कि आम लोग सप्ताह में छह दिन मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 से शाम छह बजे के बीच उद्यान में घूमने के लिए आ सकते हैं। उद्यान रखरखाव के लिए सोमवार को बंद रहेगा।

■ उद्यान रख रखाव के लिए सोमवार को रहेगा बंद

अमृत उद्यान पांच को विधानसभा चुनाव 20, 21 फरवरी को राष्ट्रपति भवन में आगंतुकों के सम्मेलन और 14 मार्च को होली के कारण बंद रहेगा।सभी आगंतुकों का प्रवेश और निकास राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 35 से होगा। यह गेट नॉर्थ एवेन्यू और राष्ट्रपति भवन के बीच है। आगंतुकों की सुविधा के लिए केन्द्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से गेट नंबर 35 तक शटल बस सेवा सुबह 9:30 से शाम छह बजे के बीच हर 30 मिनट में उपलब्ध होगी। सचिवालय ने बताया कि अमृत उद्यान कुछ दिन विशेष श्रेणियों के लोगों के लिए खुला रहेगा। इनमें 26 मार्च को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, 27 मार्च को रक्षा, अर्धसैनिक और पुलिस बलों के कर्मियों के लिए, 28 मार्च को महिलाओं और आदिवासी महिला एसएचजी के लिए तथा 29 मार्च को वरिष्ठ नागरिकों के लिए शामिल है। उद्यान में बुकिंग और प्रवेश निःशुल्क है।

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड
Aadhar Housing Finance Ltd
कार्पोरेट कार्यालय : युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड़, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई - 400069.
मेरठ शाखा: प्रथम मंजिल, आर्यन स्क्वायर, पीवीएस मॉल के पास, योजना नं.3, आई.एस. 190, शास्त्री नगर, मेरठ 250002 (उ.प्र.)

आधिपत्य सूचना परिशिष्ट 4 (अचल संपत्ति हेतु)

जबकी, आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (AHFL) के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर सिक्युरीटाइजेशन एंड रिकंस्टक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एण्ड इंफोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटस्ट एक्ट 2002 एवं सिक्युरिटी इंटस्ट (इंफोर्समेन्ट) नियम 2002 का नियम 3 के साथ सपठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त सूचना प्राप्ति के 60 दिवस में नीचे सूचना में वर्णित राशि का पुर्नभुगतान करने के लिए ऋणकर्ताओ/ प्रतिभूतिकर्ताओं को मांग सूचना (ए) जारी की थी। ऋणकर्ताराशि का पूर्नभुगतान करने में असफल रहे है, सिक्युरिटी इंफोर्समेन्ट नियम 2002 के नियम 8 के साथ सपठित उपरोक्त कानून की धारा 13 के सब-सेक्शन (4) के अंतर्गत के साथ प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ऋणकर्ता(ओ)/ प्रतिभूतिकर्ता(ओ) एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप में सूचित किया जाता है वर्णित संपत्ति पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने अधिगृहण कर लिया है। धरोहर संपत्ति के एवज में संपत्ति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय सीमा पर कानून की धारा 13 का सब सेक्शन (8) के प्रावधानों पर ऋणकर्ताएं ध्यान देवे। ऋणकर्ता को विशेष रूप में एवं सामान्य जनो को सार्वजनिक रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार न करें एवं संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नीचे वर्णित राशि के साथ शेष देय ब्याज के लिए AHFL के शुल्क के विषयानुसार होगी।

क्रं.	ऋणकर्ता(ओ)/प्रतिभूतिकर्ता(ओ) (शाखा का नाम)	धरोहर संपत्ति विवरण (अचल संपत्ति)	मांग सूचना का दिनांक एवं राशि	आधिपत्य की दिनांक
1	(लोन कोड नं. 00500002939 / मेरठ शाखा) प्रदीप कुमार (ऋणी), ललिता (सह-ऋणी) अमरदीप कुमार (जमानतदार)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, आवासीय प्लॉट, प्लॉट नंबर 10 का भाग, क्षेत्रफल 41.80 वर्ग मीटर या 50 वर्ग यार्ड, खसरा नंबर 423, 424, 425, 426, 427 एम एवं 428/1, ग्राम नूर नगर स्थित, परगना तहसील एवं जिला मेरठ (उत्तर प्रदेश) 250001 **चर्तुसीमाएँ:–** पूर्व- भु